

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया, पश्चिम चम्पारण, दरभंगा
कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी एवं पूर्णियां

पटना, दिनांक 21/04/15-

विषय: एम०एस०डी०पी० के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि में ए०सी० विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि का डी०सी० विपत्र समर्पित करने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 112 दिनांक 13.04.2015 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के द्वारा एम०एस०डी०पी० के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि में ए०सी० विपत्र के माध्यम से निकासी की गई केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि का ब्यौरा संलग्न करते हुए असमायोजित राशि को चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करते हुए डी०सी० विपत्र तैयार कर महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करने का निदेश दिया गया था । उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लंबित डी०सी० विपत्र की समीक्षा लगातार की जा रही है एवं इसी क्रम में यह निदेश दिया गया है कि ए०सी० विपत्र पर निकासी की गई राशि का शत प्रतिशत डी०सी० विपत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को निश्चित रूप से शीघ्र समर्पित किया जाय ।

अतः निकासी की गई राशि को कोषागार में जमा करने हेतु विपत्र कोड उपलब्ध करते हुए अनुरोध है कि असमायोजित राशि को अविलम्ब कोषागार में जमा कर डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा करते हुए इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	निकासी की गई राशि का विपत्र कोड	राशि को वापस जमा करने हेतु विपत्र कोड
1	2009-10 से 2011-12 तक	पी० 2250008000112 सी० 2250008000612	पी० 2250009110102 सी० 2250009110602
2	2012-13	सी० 4250000510603	सी० 4250000510699

कृपया इसे शीघ्र प्राथमिकता दिया जाय ।

विश्वासभाजन



सरकार के प्रधान सचिव

21.4.15 क०प्र०उ०...

ज्ञापांक 178

पटना, दिनांक 21/04/15

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया, पश्चिम चम्पारण, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी एवं पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

mw

सरकार के प्रधान सचिव 21.4.15

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

...
...
...
...

[Faint, illegible text at the bottom of the page]